



सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरूप: गाजीपुर जनपद (उ.प्र.) एक प्रतीक अध्ययन

अजीत कुमार यादव

प्राचार्य गुरुकुल महाविद्यालय पत्थलगांव जिला –जशपुर (छ.ग.)

सारांश - प्रस्तुत शोध प्रपत्र गाजीपुर जनपद में भूमि उपयोग प्रतिरूप से सम्बंधित है। अध्ययन क्षेत्र मध्यगंगा मैदान के समतल उपजाऊ भू-भाग में स्थित होने के कारण यहां पर उपजाऊ एवं जलोढ़ मिट्टी भूमि के अनुकूलतम उपयोग में सहायक पायी जाती है। क्षेत्र में कृषि विकास हेतु बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी, कृषि विविधता, मृदा उर्वरता एवं संरक्षण, सिंचाई के साधनों का विकास एवं सामाजिक वानिकी का नियोजन करके कृषि की उत्पादकता में वृद्धि एवं आय के नये अवसर उपलब्ध होने के कारण क्षेत्र की जनसंख्या के जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाया जा सकता है तथा द्विफसली क्षेत्र में वृद्धि करके फसलों के उत्पादन को बढ़ाकर अनुकूलतम भूमि उपयोग का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र में परती एवं कृष्य बंजर भूमि का वितरण कृषित भूमि के क्षेत्र को प्रभावित किया है।

प्रस्तावना-

सामान्य भूमि उपयोग भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका तात्पर्य अनेकानेक संभावनाओं से युक्त अक्षुण्य एवं अनध्वर संसाधन से है, जिसका स्वरूप मानव की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में परिवर्तनशील है। भूमि का उपयोग क्षेत्रानुसार विभिन्न परिवर्तनशील भौतिक-आर्थिक एवं सामाजिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाकलापों पर आधारित होता है। यह समय विशेष में किसी स्थान पर इन प्रभावी तत्वों की उपस्थिति भूमि उपयोग की क्षमता एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का संकेत करता है, (पाण्डेय, 2001)¹। भूमि उपयोग भूमि प्रयोग की शोषण प्रक्रिया है। भूमि प्रयोग एवं उपयोग में सूक्ष्म अन्तर होता है। प्रयोग शब्द संरक्षण के सन्दर्भ में एवं उपयोग शब्द व्यावहारिक संदर्भ में प्रयुक्त होता है। भूमि प्रयोग समय की अल्पावधि है, जबकि भूमि उपयोग मानवीय आवश्यकता के अनुरूप अपनायी गई लम्बी अवधि है। मानव अपनी आवश्यकतानुसार भूमि का उपयोग एवं विप्लेषण करता है। वेनेजेटी² (1972) के अनुसार— भूमि उपयोग प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उपादानों के संयोग का प्रतिफल है। वुड³ (1972) के अनुसार— भूमि उपयोग केवल प्राकृतिक भूदृष्य या प्राकृतिक वनस्पति आच्छादित भूदृष्य के संदर्भ में नहीं बल्कि मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न उपयोगी सुधारों के रूप में प्रयुक्त होता है। क्षेत्रीय आधार पर भूमि उपयोग के रूप में परिवर्तित होने की

प्रक्रिया विभिन्न प्रभावी कारकों में क्षेत्रीय विविधता होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। भूमि उपयोग एक क्रियाशील अवधारणा है जो क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के अनुरूप सम्पन्न होती है। अतः भूमि उपयोग के लिए भूमि संसाधन उपयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। वारलोव⁴(1954) के अनुसार भूमि संसाधन उपयोग भूमि समस्या एवं योजना सम्बन्धी विवेचना की धुरी है। भूमि आर्थिक दृष्टिकोण से भूमि उपयोग का प्राथमिक सम्बन्ध उस परिस्थिति, अवस्था प्रतिस्पर्धा परिवर्तन एवं सामंजस्य से है जिसका प्रादुर्भाव भूमि संसाधनों के उपयोग से होता है।

क्षेत्रीय आधार पर प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारकों में विभिन्नता के कारण भूमि का वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य तथ्य है। सर्वप्रथम स्टैम्प⁵ ने 1930 में ब्रिटेन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण करके सम्पूर्ण भूमि को आठ वर्गों में विभक्त किया। इस वर्गीकरण में यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस प्रकार की भूमि कृष्य बंजर हैं या कौन सी भूमि कृषि के लिए पूर्णतया अयोग्य है। इन्होंने क्षेत्रीय उच्चावच, जलवायु, मृदा एवं वनस्पति के आधार पर भूमि क्षमता का निर्धारण किया है। ग्रेट ब्रिटेन के भूमि उपयोग के मानचित्रों के प्रकाशन के बाद विषय के अनेक भूगोलविदों का ध्यान भूमि सर्वेक्षण की ओर आकृष्ट हुआ इसी समय भूमि का वर्गीकरण प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों को ध्यान में रखकर किया गया लेकिन इन तत्वों में क्षेत्रीय विभिन्नता के लिए उचित माना गया। 1949 में वाल्केनवर्ग⁶ की अध्यक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक कान्फ्रेंस में युनेस्को की वित्तीय सहायता से पांच सदस्यीय समिति गठित की गयी। 1950 में इस समिति द्वारा भूमि उपयोग सर्वेक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी। इस समिति ने 1952 एवं 1956 में अपनी पृथक पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर भूमि उपयोग सर्वेक्षण की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत है— अधिवास सम्बन्धित अकृषित भूमि, उद्यानों के अन्तर्गत भूमि, बाग बगीचों के अन्तर्गत भूमि, कृषित भूमि, स्थायी चारागाह के अन्तर्गत भूमि, अविकसित चारागाह के अन्तर्गत भूमि, वनवृक्षों के अन्तर्गत भूमि, दलदली भूमि एवं अनुपजाऊ भूमि।

भारतीय भूगोल विदों ने उपरोक्त वर्गीकरण के अनुरूप ही क्षेत्र विशेष के आधार पर भूमि वर्गीकरण में संशोधन किये हैं। भूमि के उपयोग भौतिक परिवेश, सामाजिक—आर्थिक व्यवस्था एवं कालिक घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति हेतु कृषि भूमि का उपयोग उस गति से नहीं होता है। इसी प्रकार 1949—50 में भूमि उपयोग वर्गीकरण के Common Coordination of Agriculture Statistics Committee इस समिति ने भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों की एक संशोधित नवीन वर्गीकरण अनुषंसित किया जिसे सभी राज्यों में लागू किया है— वन भूमि, अकृषित भूमि, कृष्य बंजर भूमि, परती भूमि, षुद्ध कृषित भूमि। अध्ययन क्षेत्र भारत के उत्तरी भाग में मध्य गंगा मैदान का उपजाऊ एवं समतल भू-भाग है। यहां प्राकृतिक—सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां क्षेत्रीय विभिन्नता के सामान्यीकरण पर आधारित हैं। यहां सघन जनसंख्या, दीर्घकालीन कृषि कार्य एवं अन्य परिस्थितियों की अनुकूलता के फलस्वरूप कृषित क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। यहां सिंचन सुविधाओं का सर्वत्र जाल पाया जाता है, जिससे भूमि उपयोग का अनुकूलतम् उपयोग किया जाता है।

विधितन्त्र— गाजीपुर जनपद में सामान्य भूमि उपयोग के अध्ययन के लिए भूमि उपयोग को विविध रूपों में विभक्त करके द्वितीयक आकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय विधि द्वारा विकासखण्डानुसार भूमि का वितरण प्रतिरूप ज्ञात कर विप्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र—गाजीपुर जनपद उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी मण्डल के पूर्वी भाग में 25°19' से 25°54' उत्तरी अक्षांश एवं 83°4' से 83°58' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह जनपद पूर्व में बिहार राज्य के बक्सर जनपद से, पश्चिम में

जौनपुर, दक्षिण में चन्दौली, दक्षिण-पश्चिम में वाराणसी, उत्तर-पश्चिम में आजमगढ़, उत्तर में मऊ एवं उत्तर-पूर्व में बलिया जनपद से घिरा हुआ है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,377 वर्ग किमी. है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.5 प्रतिशत है। इस जनपद की पूर्व-पश्चिम की ओर लम्बाई 89 किमी. एवं उत्तर-दक्षिण की ओर चौड़ाई 59 किमी. है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से गाजीपुर जनपद 5 तहसीलों, 16 विकासखण्डों, 193 न्यायपंचायतों, 1050 ग्रामपंचायतों, 3364 ग्रामों (2665 आबाद ग्राम एवं 699 गैर आबाद ग्राम) में विभक्त है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 36,22,727 है, जिसमें 18,56,584 पुरुष एवं 17,66,143 महिलाएं हैं। यहां का औसत जनघनत्व 1072 व्यक्ति/वर्ग किमी, साक्षरता 74.27% एवं लिंगानुपात 951 है।

भूमि उपयोग भौतिक परिवेश, सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था एवं कालिक घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित है। यहां बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए कृषि भूमि का उपयोग उस गति से नहीं हो रहा है⁶। क्षेत्र में कृषि ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, यहां के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3377 वर्ग किमी. के 76.52% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है। 0.04% पर वन, 0.99% पर कृष्यवंजर भूमि, 5.88% भूमि परती, 15.30% अकृषित भूमि, 1.52% चारागाह, उद्यान एवं बाग-बगीचों के अन्तर्गत भूमि सम्मिलित है। क्षेत्र के भूमि उपयोग को छः भागों में विभक्त कर अध्ययन किया गया है, जो तालिका संख्या 1.1 में प्रस्तुत है।

तालिका संख्या 1.1
गाजीपुर जनपद : सामान्य भूमि उपयोग

क्र.सं.	भूमि उपयोग वर्ग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	पुद्ध कृषित भूमि	252881	76.52
2	वन भूमि	120	0.04
3	कृष्य वंजर भूमि	3262	0.99
4	परती भूमि	19431	5.88
5	अकृषित भूमि	50560	15.30
6	उद्यान, चारागाह, वागों के अन्तर्गत भूमि	4207	1.52

स्रोत: गाजीपुर जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2012-13।

प्राकृतिक वनभूमि- प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक भूदृश्य के प्रधान अंग है। वन प्राकृतिक रूप से उगते तथा नष्ट होते रहते हैं। पौधों के समूह को जिसमें वृक्षों की अधिकता होती है वन कहलाते हैं। वनों का योगदान पर्यावरण संतुलन, मृदा निर्माण, जलवायु नियंत्रण, वन्य जीव संरक्षण में सर्वाधिक रहा है। वन प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से मानव जनसंख्या को निरंतर प्रभावित करते हैं। वे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि तथा नव्यकरणीय संसाधन होते हैं। क्षेत्र में 120 हेक्टेयर (0.04 प्रतिशत) भूमि पर वनों का विस्तार पाया जाता है। प्राचीन काल में क्षेत्र वनों से आच्छादित था। लेकिन जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गयी वैसे-वैसे वनों को काटकर कृषि का विस्तार किया जा रहा है। यहां पर वन मुख्यतः नदियों के तटीय भागों में पाये जाते हैं। क्षेत्र में सामाजिक व कृषि वानिकी द्वारा आंशिक वृद्धि की जा रही है। यहां मुख्य रूप से आम, जामुन, नीम, यूकेलिप्टस, पीपल, बरगद एवं झाड़ियां पायी जाती हैं।

कृषित भूमि— गाजीपुर जनपद एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषिगत भूमि के वितरण प्रतिरूप का संबंध वहां के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण से होता है। क्षेत्र में समतल उपजाऊ भू-भाग एवं पर्याप्त सिंचन सुविधाओं का विकास कृषिगत भूमि के लिये उत्तरदायी है। यहां के कुल प्रतिवेदित भूमि के 252881 हेक्टेयर में से 76.52% भू-भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। क्षेत्र में सबसे अधिक कृषित भूमि विरनों विकासखण्ड में 82.45% एवं सबसे कम कृषित भूमि गाजीपुर विकासखण्ड में 68.05% है। क्षेत्र के कृषित भूमि को निम्न श्रेणियों में विभक्त करके तालिका संख्या 1.2 में प्रस्तुत है।

तालिका संख्या 1.2
गाजीपुर जनपद : कृषित क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप

क्र.सं.	वितरण प्रतिषत में	श्रेणी	विकासखण्डों की संख्या	विकासखण्डों का प्रतिषत
1	> 82	अति उच्च	2	6.25
2	78-82	उच्च	4	25.00
3	74-78	मध्यम उच्च	7	43.75
4	70-74	मध्यम	2	12.50
5	< 70	मध्यम न्यून	1	6.25

स्रोत: गाजीपुर जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2012-13।

तालिका संख्या 1.2 एवं चित्र संख्या 1.1A से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की कृषित भूमि को विकासखण्डानुसार पांच श्रेणियों में विभक्त कर अध्ययन किया गया है।

अतिउच्च श्रेणी की कृषित भूमि—इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 2 विकासखण्ड विरनों एवं वाराचवर सम्मिलित हैं, जिसकी स्थिति क्षेत्र के उत्तरी एवं पूर्वी भाग में है। इन क्षेत्रों में उन्नतपील बीज, रसायनिक उर्वरक एवं कृषि सम्बन्धी अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के कारण कृषित भूमि का विस्तार अधिक पाया जाता है।

उच्च श्रेणी की कृषित भूमि— इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 4 विकासखण्ड मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, मरदह एवं भांवरकोल सम्मिलित हैं, जिसकी स्थिति क्षेत्र के मध्यवर्ती, उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग में है। इन क्षेत्रों में कृषकों की कृषि के प्रति जागरूकता एवं कृषि सम्बन्धी अवस्थापनात्मक सुविधाओं की अधिकता के कारण कृषित भूमि अधिक पायी जाती है।

मध्यम-उच्च श्रेणी की कृषित भूमि—इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 7 विकासखण्ड देवकली, सैदपुर, मनिहारी, जखनियां रेवतीपुर, भदौरा एवं जमानियां सम्मिलित हैं जिनकी स्थिति क्षेत्र के उत्तरी-पश्चिमी एवं मध्यवर्ती गंगाखादर क्षेत्र में है। इन क्षेत्रों में आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रयोग ने कृषित भूमि के विकास हेतु उत्तरदायी है।

मध्यम श्रेणी की कृषित भूमि—इसके अन्तर्गत क्षेत्र के दो विकासखण्ड सादात एवं करण्डा सम्मिलित हैं, जिसकी स्थिति क्षेत्र के पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में है। इन क्षेत्रों में परती एवं कृष्य वंजर भूमि भूमि अधिक पायी जाती है जिससे यहां कृषित भूमि कृषित भूमि का विस्तार मध्यम स्तर का पाया जाता है।

मध्यम-न्यून श्रेणी की कृषित भूमि—इसके अन्तर्गत क्षेत्र का गाजीपुर विकासखण्ड सम्मिलित है, जिसकी स्थिति क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में है। इन क्षेत्रों में नगरीय क्रिया-कलापों की प्रधानता के कारण कृषकों की कृषि के उदासीनता ही कृषित भूमि के विस्तार में बाधक है साथ ही नगरीय सुविधाओं के विस्तार के लिए अकृषित भूमि का अधिक उपयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषित भूमि का विस्तार अधिक तथा नगरीय क्षेत्रों कृषित भूमि का उपयोग कम है।

3. कृष्य वंजर भूमि—कृष्य वंजर भूमि वह भूमि है जिसमें कृषि कार्य किया जा सकता है लेकिन इसमें कई कारणों से अभी तक कृषि सम्पादित नहीं हो पायी है। क्षेत्र में कुल कृष्य वंजर भूमि 0.99% है। यहां सादात विकासखण्ड में 2.20%, जखनियां में 2.03%, मनिहारी में 2.0% मरदह में 1.44% एवं अन्य क्षेत्रों में औसत कम भूमि पर कृष्य वंजर भूमि पायी जाती है।

4. परती भूमि—परती भूमि वह भूमि है जिसमें प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के अवरोध के कारण कृषि कार्य नहीं किया जाता है। क्षेत्र की 5.88% भूभाग परती भूमि के अन्तर्गत सम्मिलित है। परती भूमि को दो वर्गों (नवीन परती भूमि, अन्य परती भूमि) में विभक्त किया गया है। क्षेत्र में सबसे अधिक परती भूमि भदौरा विकासखण्ड में 8.87% है एवं सबसे कम जमानियां में 4.20% है। क्षेत्र के परती भूमि को निम्न श्रेणियों में विभक्त करके तालिका संख्या 1.3 में प्रस्तुत है।

तालिका संख्या 1.3
गाजीपुर जनपद : परती भूमि का वितरण

क्र.सं.	वितरण प्रतिषत में	श्रेणी	विकासखण्डों की संख्या	विकासखण्डों का प्रतिषत
1	>8	उच्च	3	18.75
2	6-8	मध्यम	3	18.75
3	4-6	मध्यम-न्यून	8	50.00
4	<4	न्यून	2	12.50

स्रोत: गाजीपुर जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2012-13।

तालिका संख्या 1.3 एवं चित्र संख्या 1.1B से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की परती भूमि को विकासखण्डानुसार चार श्रेणियों में विभक्त कर अध्ययन किया गया है।

उच्च श्रेणी की परती भूमि— इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 3 विकासखण्ड भदौरा, सादात एवं रेवतीपुर सम्मिलित हैं, जिसकी स्थिति क्षेत्र के उत्तरी एवं पूर्वी भाग में है। इन क्षेत्रों में सिंचन सुविधाओं के आभाव के कारण परती भूमि का विस्तार अधिक पाया जाता है।

मध्यम श्रेणी की परती भूमि— इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 3 विकासखण्ड भांवरकोल, सैदपुर एवं मरदह सम्मिलित हैं, जिसकी स्थिति क्षेत्र के मध्यवर्ती, उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग में है। इन क्षेत्रों के नदियों तटीय भागों में जहां बाढ़ की सम्भावना अधिक एवं सिंचन सुविधाओं के आभाव है वहां परती भूमि का विस्तार अधिक पाया जाता है।

मध्यम-न्यून श्रेणी की परती भूमि—इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 8 विकासखण्ड मनिहारी, जखनियां, गाजीपुर, विरनों, कासिमाबाद, जमानियां करण्डा एवं देवकली, सम्मिलित हैं जिनकी स्थिति क्षेत्र के उत्तरी-पश्चिमी एवं मध्यवर्ती गंगाखादर क्षेत्र में है। इन क्षेत्रों में कृषकों की कृषि के प्रति जागरूकता के कारण कृषित भूमि अधिक पायी जाती है।

न्यून श्रेणी की परती भूमि— इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 2 विकासखण्ड मुहम्मदाबाद एवं वाराचवर सम्मिलित हैं, जिसकी स्थिति क्षेत्र के पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में है। इन क्षेत्रों में कृषित भूमि, उन्नतशील बीज एवं आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रयोग ने परती भूमि के विस्तार को कम किया है।

5. अकृषित भूमि—इसके अन्तर्गत उसर भूमि एवं सामान्य उपयोग में लायी गयी भूमि को सम्मिलित किया गया है। उसर भूमि वह भूमि है जिसका उपयोग कृषि कार्य में नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह भूमि कृषि के अयोग्य होती है। क्षेत्र में उसर भूमि 1.05% भाग है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि पर मानव अपनी विविध आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को सम्पादित करने के लिए भूमि का विविध उपयोग (सड़क, रेलवे, मानव बस्तियां, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, औद्योगिक कारखाने, पैक्षणिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रशासनिक व सुरक्षात्मक एवं जलाशय आदि) करता है। क्षेत्र के 15.30% भू-भाग पर अकृषित भूमि का विस्तार पाया जाता है। सबसे अधिक अकृषित भूमि गाजीपुर विकासखण्ड में 24.97% भाग एवं सबसे कम अकृषित भूमि विरनों विकासखण्ड 10.59% भाग है। क्षेत्र के अकृषित भूमि को निम्न श्रेणियों में विभक्त करके तालिका संख्या 1.4 में प्रस्तुत है।

तालिका संख्या 1.4
गाजीपुर जनपद : अकृषित भूमि का वितरण

क्र.सं.	वितरण प्रतिषत में	श्रेणी	विकासखण्डों की संख्या	विकासखण्डों का प्रतिषत
1	> 20	उच्च	2	12.50
2	16-20	मध्यम	3	18.75
3	12-16	मध्यम-न्यून	7	43.75
4	< 12	न्यून	4	25.00

स्रोत: गाजीपुर जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2012-13।

तालिका संख्या 1.4 एवं चित्र संख्या 1.1C से स्पष्ट है कि अकृषित भूमि के वितरण को विकासखण्डानुसार चार श्रेणियों में विभक्त कर अध्ययन किया गया है।

उच्च श्रेणी की अकृषित भूमि—इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 2 विकासखण्ड गाजीपुर एवं जमानियां सम्मिलित हैं, जिसकी स्थिति क्षेत्र के उत्तरी एवं पूर्वी भाग में है। इन क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं की प्रधानता है जिससे अकृषित भूमि का उपयोग नगरीय सुविधाओं के विस्तार के लिए सड़क एवं आवास निर्माण हेतु अधिक किया जाता है।

मध्यम श्रेणी की अकृषित भूमि—इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 3 विकासखण्ड करण्डा, देवकली एवं जखनियां सम्मिलित है, जिसकी स्थिति क्षेत्र के मध्यवर्ती, उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग में है। इन क्षेत्रों में नदी प्रभावित एवं जलप्लावन समस्या ने अकृषित भूमि के विस्तार के लिए उत्तरदायी है।

मध्यम-न्यून श्रेणी की अकृषित भूमि—इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 7 विकासखण्ड रेवतीपुर, सैदपुर, मनिहारी, सादात, भदौरा, मुहम्मदाबाद एवं मरदह सम्मिलित हैं जिनकी स्थिति क्षेत्र के उत्तरी-पश्चिमी एवं मध्यवर्ती गंगाखादर क्षेत्र में है। इन क्षेत्रों में नगरीय क्रियाकलापों के विकास ने अकृषित भूमि के विस्तार में सहायक है।

न्यून श्रेणी की अकृषित भूमि— इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 4 विकासखण्ड भावरकोल, वाराचवर, कासिमाबाद एवं विरनों सम्मिलित हैं, जिसकी स्थिति क्षेत्र के पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में है। इन क्षेत्रों में कृषित भूमि का विस्तार अधिक होने से अकृषित भूमि का विस्तार कम पाया जाता है।

6. उद्यान, चारागाह, वाग-बगीचों के अन्तर्गत भूमि—भूमि उपयोग सर्वेक्षण में चारागाह, उद्यान एवं उपवन को फलोत्पादन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 1.52% भूभाग को सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत सबसे अधिक भूमि वाराचवर विकासखण्ड में 2.32%, भदौरा में 2.03% भावरकोल 1.55% एवं अन्य क्षेत्रों में औसत से कम भूमि पर चारागाह, उद्यान एवं उपवन हैं।

द्विफसली क्षेत्र—क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण हेतु एक बार से अधिक फसलें उगायी जाती है। क्षेत्र में सिंचन सुविधाओं के विकास एवं समतल भूमि होने के कारण 61.14% भू-भाग पर एक बार से अधिक फसलें उगायी जाती है। सबसे अधिक द्विफसली क्षेत्र कासिमाबाद विकासखण्ड में 82.21% एवं रेवतीपुर विकासखण्ड में 28.83% भूमि पर द्विफसली क्षेत्र पाया जाता है। जिस क्षेत्र में कृषि प्राथमिक उद्योग के रूप में विकसित है वहां इसके विकास में सिंचाई एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्राचीन काल में लोग कृषि के लिये मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहते थे, लेकिन वर्षा के जल की कमी या मानसून की न्यूनता के कारण इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की उत्तम व्यवस्था है। क्षेत्र के सिंचित भूमि को निम्न श्रेणियों में विभक्त करके तालिका संख्या 1.5 में प्रस्तुत है।

तालिका संख्या 1.5
गाजीपुर जनपद : द्विफसली क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप

क्र.सं.	वितरण प्रतिषत में	श्रेणी	विकासखण्डों की संख्या	थवकासखण्डों का प्रतिषत
1	> 80	अतिउच्च	1	6.25
2	70-80	उच्च	5	31.25
3	60-70	मध्यम-उच्च	3	18.75
4	50-60	मध्यम	4	25.00
5	< 50	मध्यम-न्यून	3	18.75

स्रोत: गाजीपुर जनपद सांख्यिकीय पत्रिका 2012-13।

तालिका संख्या 1.5 एवं चित्र संख्या 1.1D से स्पष्ट है कि क्षेत्र की द्विफसली भूमि को विकासखण्डानुसार पांच श्रेणियों में विभक्त कर अध्ययन किया गया है।


अतिउच्च श्रेणी की द्विफसली भूमि—इसके अन्तर्गत कासिमाबाद विकासखण्ड सम्मिलित हैं, जिसकी स्थिति क्षेत्र के उत्तरी भाग में है। इन क्षेत्रों में सिंचन सुविधाओं के विकास एवं आधुनिक कृषि यन्त्रों के उपयोग के कारण द्विफसली क्षेत्र का विस्तार अधिक पाया जाता है।

उच्च श्रेणी की द्विफसली भूमि— इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 5 विकासखण्ड गाजीपुर, जमानियां, सादात, मरदह एवं जखनियां सम्मिलित है, जिसकी स्थिति क्षेत्र के मध्यवर्ती, दक्षिणी, उत्तरी भाग में है। इन क्षेत्रों में सिंचन सुविधाओं के विकास एवं आधुनिक कृषि यन्त्रों के उपयोग के कारण यहां द्विफसली क्षेत्र का विस्तार अधिक पाया जाता है।

मध्यम-उच्च श्रेणी की द्विफसली भूमि— इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 3 विकासखण्ड मनिहारी, विरनों एवं वाराचवर सम्मिलित हैं जिनकी स्थिति क्षेत्र के मध्यवर्ती उत्तरी एवं उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में है।

मध्यम श्रेणी की द्विफसली भूमि— इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 4 विकासखण्ड देवकली, मुहम्मदाबाद, सैदपुर एवं करण्डा सम्मिलित हैं, जिसकी स्थिति क्षेत्र के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग में है।

मध्यम-न्यून श्रेणी की द्विफसली भूमि— इसके अन्तर्गत क्षेत्र के 3 विकासखण्ड भदौरा, भांवरकोल एवं रेवतीपुर सम्मिलित है, जिसकी स्थिति क्षेत्र के दक्षिणी भाग में है। क्षेत्र में सामान्य भूमि उपयोग के वर्गीकरण से स्पष्ट है कि यहां समतल भूमि एवं सिंचन सुविधाओं के विकास के कारण भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। क्षेत्र खाद्यान फसलों के उत्पादन से जनसंख्या के भरण पोषण की दृष्टि से सक्षम है।



REFERENCE

1. Pandey, J.N. (2003) : Agriculture Growth Land Use Pattern and Productivity in Sryupar in Plain, U.P; Research Journal of social sciences Basti, Vol.6 No. 1-2, pp. 98-112
2. Vanezetti, C.(1972) : Land Use and Natural Vegetation in International Geography, Edited by W. Peter Adam and Frederick M. Heleiner Toronto University, pp1105- 1106
3. Wood, H.A (1972): A Classification of Agricultural Land Use for Development Planning, International Geography 22nd I.G.U. Canada University of Toronto Press.P-1106
4. Barolwe, R (1954) : Land Problems and Ploicies, New York P.QQ
5. Stamp, L.D (1932) : Use and Misuse of Land in Great Britain,
6. VolKenburg, S.V. (1950) : The World Land Use Survey Economic Geography Vol. 26, P.3